संख्या-158/2026/ I/1282477/2026/007/23-6099(099)/128/2025

प्रेषक,

सुबास राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-2026 में राज्य योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के कतिपय जनपदों के 10 सेतुओं के चालू कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, (सेतु विंग), लो0नि0वि0, लखनऊ के कतिपय पत्रांक (तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के कतिपय जनपदों के 10 सेतुओं के चालू कार्य हेतु निम्नानुसार रू0 2137.65 लाख (रूपये इक्कीस करोड सैंतीस लाख पैंसठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्यालय मुख्य अभियन्ता (सेतु विंग) का पत्रांक	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्राविधिक/ बचत/ बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	आवंटन धनराशि		
								अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	20477/CE-SEB/RYB/LKO/2025-26 Dt- 25-03-2026	प्रा0ख0 सीतापुर	जनपद सीतापुर में बिलासपुर एवं सहरा नानकारी के मध्य लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग तथा अतिरिक्त पहुंच मार्ग निर्माण कार्य।	357/2025/आई/1150304/2025/23-6099/200/2025-दिनांक-21-11-2025	479.04 467.79 0.200 467.59	239.52	228.07	150.49	40.51	191.00
2	19874/CE-SEB/RYB/BAS/2025-26 Dt- 07-03-2026	प्रा.ख. बस्ती	जनपद बस्ती के विधान सभा हरैया के अन्तर्गत रामरेखा नदी के भदरवा घाट पर दावपारा एवं डुहरिया गांव के बीच 3x18.75 मी. के लघु सेतु के पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य।	59/2021/347/23-10-21-83(नियम)/2020-दिनांक-25-03-2021	432.81 432.81 1.82 430.99	409.44	21.55	16.98	4.57	21.55
3	20341/CE-SEB/RYB/AGR/2025-26 Dt- 23-03-2026	नि.ख.-2 आगरा	जनपद आगरा में यमुना नदी पर तनौरा नूरपुर एवं सुरैरा के मध्य पान्टून सेतु का निर्माण कार्य एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य	318/2025/आई/1130356/2025/23-6099(099)/278/2025-दिनांक-31-10-2025	75.08 75.08 6.35 68.73	37.54	31.19	10.79	2.91	13.70
4	तदेव	प्रा.ख. मैनपुरी	जनपद मैनपुरी में चितायन महिगवां मार्ग से कमलपुर मार्ग के किमी0-1 में आर0सी0सी0 बॉक्स कल्वर्ट एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य।	27/2024/2082/001-1407-2024-23-11-2024-दिनांक-06-12-2024	70.73 70.73 0.88 69.85	25.69	44.16	34.79	9.37	44.16

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5	20349/CE-SEB/RYB/ADY/2025-26 Dt- 23-03-2026	नि.ख.-4 अयोध्या	जनपद अयोध्या में भेलसर रूदौली इन्हौना मार्ग के कि0मी0-13 में स्थित जर्जर संकरे पुल के स्थान पर 2x5 मी0 स्पान के आर0सी0सी0 बाक्स कल्वर्ट के नव निर्माण का कार्य।	81/2025/669/23-6099/8/2025-दिनांक-06-03-2025	178.27 178.27 16.66 161.61	77.80	83.81	66.03	17.78	83.81
6	20353/CE-SEB/RYB/GON/2025-26 Dt- 23-03-2026	प्रा.ख. बहराइच	जनपद बहराइच में कैलाशपुर झुम्मन गांव सं0मार्ग के किमी0 1 में पूर्व निर्मित रपटे के स्थान पर 5x4x4.00 मी0 स्पान का बाक्स कलवर्ट का निर्माण कार्य	69/2025/2186/23-6066/26/2024-दिनांक-19-02-2025	119.89 119.89 0.05 119.84	113.85	5.99	4.72	1.27	5.99
7	तदैव	सेतु निगम श्रावस्ती	जनपद श्रावस्ती में विधानसभा श्रावस्ती में इकौना से ककरा व मझौवा घाट पर राप्ती नदी पर दीर्घ सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य।	182/2025/951/23-6099(099)/400/2024 - दिनांक-31-03-2025	7020.66 6992.52 0.00 6992.52	4904.61	2087.91	1369.59	368.69	1738.28
8	19872/ CE-SEB/RYB/MBD /2025-26 Dt- 07-03-2026	प्रा.ख. रामपुर	जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में धीमरी नदी पर श्रीनगर व ग्राम सिहोर के मध्य आर0सी0सी0 लघु सेतु एवं पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य।	116/2021/1213/23- 10-21-28(सेतु)/2021-दिनांक-09-12-2021	220.97 220.97 0.00 220.97	210.98	9.99	7.87	2.12	9.99
9	तदैव	प्रा.ख. रामपुर	जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में हामिदनगर एवं लालपुर पुल के बीच के मार्ग (ग्रा0मा0) पर आर0सी0सी0 लघु सेतु एवं पहुँच मार्ग के निर्माण काय।	तदैव	84.61 84.61 0.00 84.61	80.72	3.89	3.06	0.83	3.89
10	तदैव	प्रा.ख. रामपुर	जनपद रामपुर के अन्तर्गत टाण्डा(मरघटी) से करखेड़ी के मध्य बहल्ला नदी पर लघु सेतु, पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	197/2022/1659545/001-1659545-23-10002-002-3-2022-दिनांक-09-12-2022	544.42 544.42 0.00 544.42	519.14	25.28	19.92	5.36	25.28
कुल योग								**1684.24**	**453.41**	**2137.65**

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त तालिका अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्ते व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी।

(6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(7) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(8) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा। यदि लागत में अनुरक्षण पर व्यय सम्मिलित है, तो अनुरक्षण की धनराशि को वर्तमान धनावंटन के क्रम में व्यय नहीं किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 16,84,24,000 (रुपये सोलह करोड़ चौरासी लाख चौबीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 4,53,41,000 (रुपये चार करोड़ तिरेपन लाख इकतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891400 कृषि विपरण सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुबास राम)
उप सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ।
(7) संबंधित कोषाधिकारी।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(10) नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट, लोक निर्माण विभाग ।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबास राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in